FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-I

शीत ऑनलाईन ... 9.8.19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती शांति देवी वगैरह बनाम श्रीमती ... देवी पुत्री ...

... जाति जाट ... जाति जाट वगैरह

किस्म मुकदमा— ... नम्बर— 266 सन् 2019 (...)

225 राज. काश्तकारी अधि.

2019/00266

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सुण्डाराम जाट श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
9/8/19	यह अपील श्री सुण्डा राम जाट एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 05.03.2018, प्रकरण संख्या 4/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/ प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम को पेश किया तथा साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.03.2018 को एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए, विवादित आराजी की आगामी तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान किये। जिसके पश्चात नोटिस अप्रार्थी संख्या 4, 5, व7 को मिलने के पर उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 10.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अण्डरटेंकिगं दी। उक्त पश्चात अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के अन्तर्गत अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2019 को शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका का भी निस्तारण नहीं किया गया तथा प्रकरण में आगामी पेशियॉ दी जा रही है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण नहीं किया ज़ा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से ज़ाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों का उल्लघंन हो रहा है। सूरजमल के समस्त वारिसान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 09, 10 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त एवं उपयोग-उपभोग सूरजमल की मृत्यु के पश्चात से आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्टस अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं। यदि रेस्पोडेन्टस उक्त कृत्य में सफल हो गये तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2018	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

की क्रियान्विति ताफैसला मूल वाद तक स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.03.2018 को एक पक्षीय आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 15.5.2019 को शीघ्र सुनवाई किये जाने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को लगभग 1 वर्ष से अधिक को चुका हैं जबकि आदेश 39 नियम 3 जा.दी. के प्रावधानों के तहत् एक तरफा में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा केवल एक माह के लिए प्रदान की जा सकती हैं तथा एक माह पश्चात अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे बढ़ाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा स्पष्ट कारण अंकित किये जाने होगे, लेकिन आक्षेपित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3(क)जा.दी. के प्रावधानों का उल्लघंन करते महुए एक तरफा में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अवधि आगामी पेशी तक बढ़ायी जा रही हैं जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है इसलिए हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2018 को निरस्त करते हुए अपील का निस्तारण इसी स्तर पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाता हैं, प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करें। अधी.न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

19/8/19